कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर 482008 (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम...
2. आवेदनकर्ता/अभ्यार्थी का नाम...
3. पत्र व्यवहार का पता एवं मोबाईल नम्बर..

जन्म दिनांक ....

4. शैक्षणिक योग्यता ....

क्रं.	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करनें का वर्ष	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत

5. आयुष विभाग में कार्यानुभव का विवरणः–

क्रं.	धारित पद का नाम	संस्था/विभाग	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य का प्रकार

6 कम्प्यूटर प्रमाण पत्र..

7. संलग्न प्रमाण पत्र ....

8.अन्य प्रमाण पत्र..

स्थान.......................................

दिनांक...................................

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

जावक क्र. 3245 गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर 482008 (म.प्र.) दिनांक 22/07/22

भारत सरकार आयुष विभाग के आयुष फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के तहत अंशकालिक आधार पर प्रोग्राम असिस्टेंट के कार्य हेतु विज्ञापन संस्था निम्नांकित नियमों के अर्न्तगत आवेदन आमंत्रित करती है।

नियम एवं शर्ते

1. शैक्षणिक योग्यताः– (अ) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय तथा सी.सी.आईएम. / एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त बी.ए.एम.एस. डिग्री एवं संबंधित बोर्ड में पंजीकृत अनिवार्य हैं (ब) कम्प्यूटर एम.एस. आफिस का ज्ञान (स) भारत सरकार आयुष विभाग / शासकीय आयुष विभाग में कार्य अनुभव।
2. परियोजना दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित को प्रतिमाह 25000 / – निश्चित राशि देय होगी।
3. यह अनुबंध 04 माह के लिये होगा,मानदेय भुगतान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से ही किया जायेगा। योजना मद में राशि आवंटित न होने पर भुगतान नही किया जावेगा। परियोजना समाप्ति के साथ ही कार्यकाल स्वमेव समाप्त हो जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से नही दी जावेगी ।
4. कार्य दिवसों में प्रतिदिन उपस्थित होकर प्रधानाचार्य एवं परियोजना प्रभारी द्वारा सौपे गये कार्य को संपादित करना होगा, साथ ही अवकाश के दिनों में आवश्यकता होने पर उपस्थिति होना होगा जिसका पृथक से भुगतान नही होगा ।
5. इस कार्य हेतु संस्था / शासन के निर्देशानुसार अनुबंध करना होगा।
6. अनुबंधित व्यक्ति को संस्था की पूर्व अनुमति के बिना संपादित किये गये कार्यो की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित प्रकाशित एवं उपयोग करने का अधिकार नही होगा। कार्य प्रारंभ करते समय इस आशय का वचन पत्र 100 रू के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होंगा।
7. संबंधित को त्याग पत्र देने की स्थिति में अथवा 4 माह या परियोजना के समाप्त होने के पश्चात् सभी दस्तावेजों को संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा ।
8. यह अनुबंध पूर्णतः अशंकालिक है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नही होगा।
9. संबंधित व्यक्ति किसी भी हैसियत से संस्था स्थापना के अन्तर्गत नही माने जायेगें और वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नही माने जायेगें।
10. परियोजना प्रभारी (कोर्डिनेटर)के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किये जावेगा ।
11. अनुबंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नही लेगा।
12. बिना किसी पूर्व सूचना के निरंतर एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी कोई पूर्व सूचना पृथक से देय नही होगी।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी शासकीय स्वाशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।
15. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि. 29 / 07 / 2022 समय.दोपहर 03:00 बजे तक।
16. साक्षात्कार दिनांक 01 / 08 / 2022 प्रातः 12:00 बजे से होगा साक्षात्कार की सूचना पृथक से नही दी जावेगी।
17. सभी प्रमाण पत्र सत्यापित होना अनिवार्य है।